

कार्यालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला-सिवनी

पत्र क्रमांक / 1150 / अ.का.नि. / इ.ड. / 2018

सिवनी, दिनांक / 03/06 / 2018

वैध की जाने वाली कालोनियों का  
अंतिम प्रकाशन  
प्रारूप (नियम 15-क(1))

अधिसूचना

नगर पालिका क्षेत्र बरघाट, जिला सिवनी अंतर्गत दिनांक 31.12.2016 तक निर्मित अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु नियम 15-क(तीन) के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक सूचना दिनांक 22/05/18 जारी कर 30 दिवस के भीतर अधिसूचित कालोनियों के नियमितीकरण करने के संबंध में दावे/आपत्ति युलाये गये और प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत निम्नलिखित कालोनियों नियमितीकरण योग्य पाई गई, जिन्हें नियम 15-क की शर्तों एवं प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही कर वैध करने हेतु रजिस्ट्रीकृत किया जाता है :-

क्रं.	वार्ड क्रं.	अवैध कालोनी का नाम/पता	कालोनाईजर/ भू-स्वामी का नाम व पता	अवैध कालोनी की भूमि का विवरण	
				खसरा क्रं.	कुल रकबा (हे. मे)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गौं संतोषी वार्ड क्रं. 02	बालाजी नगर, मूडापार बरघाट जिला सिवनी	डॉ. रोहिणी प्रसाद पाण्डे पिता डोमन प्रसाद पाण्डे एवं गेदालाल पिता कान्हा दिसैन निवासी बालाघाट	219/2	1.13 हे.

21/7/18  
कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी  
सिवनी - सिवनी (म.प्र.)  
नगर परिषद, बरघाट, सिवनी